

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/क०रा०बी०यो०-06/2023 श्र०सं०...../श्री सत्येन्द्र प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। साथ ही, श्री प्रसाद को निम्नांकित कार्यालयों के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी नामित किया जाता है :-

- (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कंकडबाग, पटना
- (ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, हाथिदह
- (iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, मुजफ्फरपुर
- (iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर
- (v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कटिहार
- (vi) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, हाजीपुर
- (vii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, दीघा
- (viii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, भागलपुर

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-1/क०रा०बी०यो०-06/2023 श्र०सं०.....20...../ पटना-01, दिनांक-21/5/25

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव